

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.05.2023

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-19 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना वजीरगंज पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

#### 01. थाना कौड़िया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामइन्दर उर्फ पुजारी पुत्र छोटे लाल नि० सिसई परसियारा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा के कब्जे से 08 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-169/23, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

सराहनीय कार्य  
प्रेस-नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 20.05.2023

**गैंगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार:-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के तहत पुरस्कार घोषित/गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए थे। जिसके क्रम में थाना खरगपुर पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है।

आज दिनांक 20.05.2023 को थाना खरगपुर पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर गैंगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्तों-01. अकबर अली, 02. चुन्ना उर्फ इरफान को गिरफ्तार किया गया है। उक्त अभियुक्तगण थाना खरगपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0-144/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट में वांछित थे। उक्त अभियुक्तगणों का एक संगठित गिरोह था जो आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु गौकसी जैसा जघन्य अपराध कारित किया करते थे। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना खरगपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण-**

01. अकबर अली पुत्र किशोरी नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।  
थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।
02. चुन्ना उर्फ इरफान पुत्र अकबर अली नि0 ग्राम लोनावा दरगाह थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग-**

01. मु0अ0सं0-144/2023 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना खरगपुर जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम-**

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा मय टीम।

**सराहनीय कार्य**  
**प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 20.05.2023**

**जानलेवा हमला करने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, थाना कोतवाली देहात का था  
टाप-10 अपराधी-**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 देहात पुलिस ने अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा शिवराज के पर्यवेक्षण में जानलेवा हमला करने के वांछित अभियुक्त रामकिशुन मिश्रा को मा0 मानवाधिकार आयोग के सामने से लोहिया होकर पालिटेक्निक जाने वाली सड़क किनारे, थाना विभूतिखण्ड जनपद लखनऊ पूर्वी पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त थाना को0 देहात में पंजीकृत मु0अ0सं0-516/23, धारा 147,14,149,323,504,506,307 भादवि में काफी दिनों से फरार चल रहा था। अभियुक्त के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा एन0बी0डब्ल्यू0 व धारा 82 सीआरपीसी के आदेश जारी किये गये थे। थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

01. रामकिशुन मिश्रा पुत्र लालता प्रसाद मिश्रा निवासी खिरौरा मोहन थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

**अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-**

01. मु0अ0सं0-516/22 धारा 147,148,149,323,504,506,307 भादवि व 2/3 लोक सम्पत्ति क्षति नि0 अधि0 थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0-134/1881 धारा 396 भादवि थाना हाथरस महामाया नगर।
03. मु0अ0सं0-156/1986 धारा 147,323,324 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0-21/1990 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
05. मु0अ0सं0-790/1995 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
06. मु0अ0सं0-788/1995 धारा 147,148,149,107 भादवी0 थाना को0 नगर गोण्डा।
07. मु0अ0सं0-12/1998 धारा 147,148,149,307 भादवी0 थाना को0 देहात गोण्डा।
08. मु0अ0सं0-50/1998 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा।
09. मु0अ0सं0-544/1998 धारा 147,148,323,504,506 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा।
10. मु0अ0सं0-41/1999 धारा 147,323,324 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा।
11. मु0अ0सं0-72/1999 धारा 379 भादवी0 व 33 वन अधि0 थाना को0 देहात गोण्डा।
12. मु0अ0सं0-162/2000 धारा 323,504,506,308 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा।
13. मु0अ0सं0 232/2000 धारा 379,411 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा
14. मु0अ0सं0 128/2002 धारा 3(1) यू0पी0 गुण्डा एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा

15. मु0अ0सं0 101/2003 धारा 143,149,384,504,506,352,353 भादवि0 थाना को0 नगर गोण्डा
16. मु0अ0सं0 103/2003 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर गोण्डा
17. मु0अ0सं0 निल धारा 379 भादवि व 3 आर0पी0ओ0पी0 ऐक्ट थाना आर0पी0एफ0 गोण्डा
18. मु0अ0सं0 289/2003 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ।
19. मु0अ0सं0 305/2003 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गाजीपुर लखनऊ।
20. मु0अ0सं0 319/2003 धारा 504/506 भादवि0 थाना कृष्णनगर लखनऊ।
21. मु0अ0सं0 32/2004 धारा 307,41,411,413,414 भादवि0 व 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट थाना को0देहात गोण्डा।
22. मु0अ0सं0 33/2004 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा
23. मु0अ0सं0 39/2008 धारा 110(जी) सीआरपीसी थाना को0 देहात गोण्डा
24. मु0अ0सं0 289/2015 धारा 110(जी) सीआरपीसी थाना को0 देहात गोण्डा
25. एन0सी0आर0 नं0— 86/2016 धारा 323,504 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा
26. मु0अ0सं0 297/2016 धारा 354,452,323,504,506 भादवी0 3(1)एक्स एस0सी0एस0टी0 थाना को0 देहात गोण्डा
27. मु0अ0सं0 111/2017 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना को0 देहात गोण्डा
28. मु0अ0सं0 139/2017 धारा 323,504,506 भादवि0 3(1) एक्स एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा
29. मु0अ0सं0 03/2018 धारा 323,504,506 भादवि0 3(1))एक्स एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा
30. मु0अ0सं0 302/2018 धारा 147,148,149,323,504,506,452,427 भादवि0 व 3(1)द,ध एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा
31. मु0अ0सं0 260/2018 धारा 323,427 भादवि0 3(1)द,ध एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा
32. मु0अ0सं0 16/2021 धारा 143,504,506 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा
33. मु0अ0सं0 87/2021 धारा 376,504,506 भादवि0 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(2)5 एस0सी0एस0टी0 एक्ट थाना को0 देहात गोण्डा
34. मु0अ0सं0 422/2022 धारा 147,148,448,341,327,504,506 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा
35. मु0अ0सं0 542/2022 धारा 147,148,149,452,323,504,506,447,379,327 भादवि0 थाना को0 देहात गोण्डा

### गिरफ्तारकर्ता टीम—

अति0प्र0नि0 महिमानाथ उपाध्याय मय टीम थाना को0 देहात गोण्डा।

मानवीय कार्य  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 20.05.2023

दिव्यांग व्यक्ति का गोण्डा पुलिस बनी सहारा, मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए थाना  
को0 मनकापुर पुलिस ने दिव्यांग व्यक्ति की आर्थिक सहायता—

दिनांक 18.05.2023 को थाना को0 मनकापुर क्षेत्र के रहने वाले एक दिव्यांग व्यक्ति द्वारा पुलिस कार्यालय आकर जनसुनवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर के समक्ष प्रस्तुत होकर कुछ आर्थिक सहायता यथोचित उपलब्ध कराने हेतु कहा गया था। जिसमें पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्र0नि0 को0 मनकापुर को दिव्यांग व्यक्ति को जनसहयोग हेतु निर्देशित किया गया था। जिसमें आज दिनांक 20.05.2023 को प्र0नि0 मनकापुर चितवन कुमार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति को आर्थिक सहायता(5,000/—) देकर सम्मानित किया गया। इस मानवीय कार्य हेतु आमजनमानस द्वारा गोण्डा पुलिस की भूरि-भूरि प्रशंसा की जा रही है।

सराहनीय कार्य  
प्रेस नोट  
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा  
दिनांक 20.05.2023

**आत्महत्या के लिये प्रेरित करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० करनैलगंज पुलिस द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के वांछित अभियुक्त विनोद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्त ने वादी रामू गोस्वामी पत्नी जग प्रसाद गोस्वामी नि० गुमदहा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा की पत्नी को आत्महत्या करने के लिये प्रेरित किया था। जिससे पीड़ित आहत में आकर आत्महत्या कर लिया था। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. विनोद कुमार पुत्र राजाराम नि० गुमदहा थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०स० 251/2023 धारा 306 भा०द०वि० थाना को० करनैलगंज जनपद गोण्डा।

**गिरफ्तार कर्ता टीम—**

उ०नि० सुनील कुमार तिवारी मय टीम।